

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- कोला

प्रकरण संख्या:- 70/2025

दिनांक:- 26/6/25

श्री सोदान पुत्र शिराज मीना
 निवासी आदलवाड़ा कला

सुभवान

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई



:: आदेश ::

प्राथी के खाता वृत्तवली प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न बस्तावेज, पटवारी
 इल्का कोला भू. अ. नि. आदलवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की
 रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
 ग्राम आदलवाड़ा खर 40 ह० कोला की वर्तमान स्थायी
 जमाबन्दी के खाता संख्या 84 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को
 निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये
 जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	नाम की अशुद्धि	शोदान पुत्र शिराज डि. 1/36 जाति मीना	सोदान पुत्र शिराज डि. 1/36 जाति मीना

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिरिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर यह है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्राथी श्री सोदान पुत्र शिराज मीना नि. आदलवाड़ा
3. रसित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)